संख्या -23/2021/1636683/5-5099/994/2019

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 27 मई, 2021

विषय:-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत ''पर ड्राप मोर क्रॉप-अदर इन्टरवेंशन घटक'' अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु पुनर्वैध की गयी सामान्य मद की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-PMKSY (प्रकोष्ठ)/11/सामान्य मद/ 2021-22, दिनांक 20-05-2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या -11 के लेखाशीर्षक 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 06-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 0601-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (के0 60/रा0 40-के0+रा0) में प्रस्तावित धनराशि के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में पुनर्वैधित केन्द्रांश की धनराशि रू0 1682.82 लाख (रू0 सोलह करोड़ बयासी लाख बयासी हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार विभिन्न मानक मदों में व्यय करने की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

अनुदान सं0 एवं लेखाशीर्षक	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि केन्द्रांश (60%)
अनुदान सं0 11 का लेखाशीर्षक-''2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 102-मृदा संरक्षण, 06-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 0601-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (के0 60/रा0 40-के0+रा0)''	04-यात्रा व्यय	15.00	3.42
	08-कार्यालय व्यय	15.38	3.51
	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	10.00	2.28
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20.00	4.56
	27-सब्सिडी	6911.00	1593.33
	29-अनुरक्षण	20.00	4.56
	42-अन्य व्यय	300.00	60.60
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	30.00	3.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी	20.00	4.56
	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं का भुगतान	20.00	3.00
	योग	**7361.38**	**1682.82**

(रू0 सोलह करोड़ बयासी लाख बयासी हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेनिशयल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

3- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए कार्ययोजना में अनुमोदन प्राप्त है। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृति की गयी है। एक मद से दूसरे मद में धनराशि का व्यावर्तन नही किया जायेगा । व्यय के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण माहवार / जनपदवार निर्धारित प्रारूप पर समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा भारत सरकार से सहमति के अनुरूप किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय पी0एम0के0एस0वाई0 हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों/ गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार केन्द्रांश के अनुपात में किये जाने का दायित्व आपका होगा।

6- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाये। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

7- वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसका उत्तरदायित्व आपका होगा । केन्द्रांश की उपलब्धता एवं द्विरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। अब तक शासन द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृति की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

8- योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाये तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाये।

9- उक्त प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रथमत: केन्द्रांश की धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 102-मृदा संरक्षण, 06-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 0601-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (के0 60/रा0 40-के0+रा0) के मानक मद 04-यात्रा व्यय, 08-कार्यालय व्यय, 11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद, 27-सब्सिडी, 29-अनुरक्षण, 42-अन्य व्यय, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय, 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी एवं 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश उक्त शासनादेश में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-23(1)/2021/1636683(1)/5-5099/994/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रभम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (आडिट/सिविल) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग/समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।

7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।

9. अपर कृषि निदेशक, (भूमि संरक्षण/ सामान्य), कृषि निदेशालय, लखनऊ।

10. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।

11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3

12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।